

बिहार सरकार  
श्रम संसाधन विभाग  
-:: आदेश ::-

श्री शक्ति कुमार, प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, मोतिहारी -सह- प्रभारी प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, पकड़ीदयाल, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, चकिया एवं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, सिकरहना के विरुद्ध अंशकालीन अतिथि अनुदेशकों के चयन हेतु आवेदन पत्रों के संधारण में अनियमितता किये जाने, जाँच दल को आवेदन उपलब्ध नहीं कराये जाने संबंधी कतिपय आरोप प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित पाये जाने के कारण उनके विरुद्ध प्रपत्र-‘क’ गठित कर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 19 के आलोक में विभागीय पत्रांक-3656 दिनांक-28.12.17 द्वारा लघु दण्ड हेतु स्पष्टीकरण की मांग की गयी। श्री शक्ति कुमार द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण एवं साक्ष्यों की समीक्षा की गयी एवं समीक्षोपरान्त उनके स्पष्टीकरण से असहमत होते हुए उनके विरुद्ध विभागीय संकल्प ज्ञापांक-1331 दिनांक-08.06.18 द्वारा असंचयात्मक प्रभाव से दो वेतनवृद्धि की रोक का दण्ड अधिरोपित किया गया।

2. उल्लेखनीय है कि श्री शक्ति कुमार, प्राचार्य के विरुद्ध जब आरोप गठित किया गया उस समय वे वेतन स्तर- 09 एवं पद समूह- ‘ख’ के पदाधिकारी थे। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की अधिसूचना संख्या-105 दिनांक-25.01.17 द्वारा समूह ‘ख’ के अनुशासनिक प्राधिकार प्रधान सचिव के माध्यम से विभागीय मंत्री हैं। अतएव उक्त आलोक में श्री शक्ति कुमार, प्राचार्य के विरुद्ध विभागीय मंत्री के स्तर से शास्ति का निर्धारण किया गया। परन्तु वित्त विभागीय संकल्प संख्या-2189 दिनांक-21.03.18 द्वारा दिनांक-14.12.17 के प्रभाव से प्राचार्य का वेतन स्तर-11 निर्धारित किया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र ज्ञापांक-7291 दिनांक-01.06.18 द्वारा पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन स्तर-11 से स्तर-14 के पदाधिकारी समूह-‘क’ के रूप में वर्गीकृत है एवं मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की अधिसूचना संख्या-105 दिनांक-25.01.17 द्वारा इनके अनुशासनिक प्राधिकार मुख्य सचिव के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री हैं। इस तरह श्री शक्ति कुमार, प्राचार्य दण्ड अधिरोपण के समय तक वे वेतन स्तर-11 एवं पद समूह-‘क’ के पदाधिकारी हो चुके थे एवं उनके विरुद्ध शास्ति का निर्धारण मुख्य सचिव के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री के स्तर से होना चाहिए था।

3. उक्त प्रक्रियात्मक त्रुटि के कारण श्री शक्ति कुमार, प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, मोतिहारी-सह- प्रभारी प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, पकड़ीदयाल, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, चकिया एवं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, सिकरहना के विरुद्ध के विरुद्ध विभागीय संकल्प ज्ञापांक-1331 दिनांक-08.06.18 द्वारा अधिरोपत असंचयात्मक प्रभाव से दो वेतनवृद्धि की रोक को निरस्त किये जाने एवं पुनः नियमाकूल विहित प्रक्रिया अपनाते हुए आरोपी पदाधिकारी से स्पष्टीकरण प्राप्त कर अग्रेत्तर कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया है।

4. अतएव, श्री शक्ति कुमार, प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, मोतिहारी-सह- प्रभारी प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, पकड़ीदयाल, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, चकिया एवं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, सिकरहना के विरुद्ध के विरुद्ध विभागीय संकल्प ज्ञापांक-1331 दिनांक-08.06.18 द्वारा अधिरोपत शास्ति को निरस्त किया जाता है। इस मामले में नियमानुकूल अग्रेत्तर कार्रवाई की जायेगी।

5. प्रस्ताव में माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-  
(सूर्यकान्त मणि)  
सरकार के उप सचिव

ज्ञाप सं०-6/श्रम वि० आ० (01)- 196/2017 श्र०सं०-  
प्रतिलिपि- श्री शक्ति कुमार, प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, मोतिहारी को सूचनार्थ प्रेषित।

पटना, दिनांक-

ह०/-

सरकार के उप सचिव

पटना, दिनांक-

ज्ञाप सं०-6/श्रम वि० आ० (01)- 196/2017 श्र०सं०-

प्रतिलिपि-प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग वित्त विभाग, बिहार, पटना को दो प्रति के साथ बिहार राजपत्र के अगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि राजपत्र की 15 (पन्द्रह) अतिरिक्त प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध करायें।

ह०/-

सरकार के उप सचिव

पटना, दिनांक-

ज्ञाप सं०-6/श्रम वि० आ० (01)- 196/2017 श्र०सं०-

प्रतिलिपि-महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-

सरकार के उप सचिव

पटना, दिनांक-

ज्ञाप सं०-6/श्रम वि० आ० (01)- 196/2017 श्र०सं०-

प्रतिलिपि-प्रभारी पदाधिकारी वित्त (वै० दा० नि० कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, नया सचिवालय, विकास भवन, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-

सरकार के उप सचिव

पटना, दिनांक-12/3/2019

ज्ञाप सं०-6/श्रम वि० आ० (01)- 196/2017 श्र०सं०- 603

प्रतिलिपि-निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण/विशेष सचिव/विशेष कार्य पदाधिकारी/उप सचिव/अवर सचिव/प्रभारी गोपनीय चारित्री/लोक सूचना पदाधिकारी/आई०टी० मैनेजर/प्रशाखा पदाधिकारी (प्रशाखा-01 एवं 06), श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

12/3/19

सरकार के उप सचिव  
12/3/19